न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
आर्म्स अपील संख्याः 01/2024
दायर दिनांकः 19.01.2024
निर्णय दिनांक 03.02.2025

—: अनवान :—

श्री सुरेशचन्द्र पिता मांगीलाल जी जाट आयु वयस्क निवासी कुण्डिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द **— अपीलान्ट**

:: बनाम ::

राजस्थान राज्य जरिये उपखण्ड अधिकारी महोदय रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द **— रेस्पोडेन्ट**

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी जी रेलमगरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2023 के विरूद्ध अपील

उपस्थितः—

1— श्री श्यामसुन्दर पालीवाल अधिवक्ता अपीलान्ट
2— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने श्रीमान उपखण्ड अधिकारी जी रेलमगरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2023 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में आर्म्स अधिनियम एवं नियमो के तहत दो नाल टोपीदार बन्दुक के लाईसेन्स के लिए आवेदन किया। अपीलाण्ट ने नियमानुसार प्रारूप में आवेदन किया तथा सभी जगह से नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र मंगवाए गये जिसमें अपीलाण्ट का उपरोक्त शस्त्र की अनुज्ञप्ति दिये जाने में अनापत्ति दी तथा आवेदक अपीलाण्ट को दो नाल टोपीदार लाइसेन्स जारी करने की अनुशंषा की गई। उपरोक्त सारी परिस्थिति के बावजुद भी अधिनस्थ अनुज्ञप्ति अधिकारी जी ने मनमकसूद तरिके से स्वयं की सुरक्षा हेतु हथियार की आवश्यक्ता का पर्याप्त व उचित कारण नही होने एवं नील गाय के सम्बन्ध में आर्म्स रूल्स में कोई नियम नहीं होने का आधार बना आवेदन अस्वीकार करने के कारण अपीलाण्ट यह अपील इन

आधारो पर पेश कर रहा है कि अधिनस्थ अधिकारी जी ने आदेश पारित करने में विधि सम्बन्धित एवं तथ्य सम्बन्धित भूल की है। अधिनस्थ अधिकारी जी ने अपीलाण्ट को बिना सूचित किए व सुनवाई का अवसर दिये बिना मनमकसुद तरिके से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित आदेश पारित करने में भुल की है। आर्म्स नियमों के तहत अपीलाण्ट को अपने खेतो की फसलों की सुरक्षार्थ आवश्यक्ता प्रमाणित कराई है। अधिनस्थ अधिकारी जी ने केवल नील गाय के सम्बन्ध में मनमकसुद आधार अंकित कर आदेश पारित करने में भूल की है। अपीलाण्ट को अनुज्ञप्ति जारी करने में सारे विभागो द्वारा अनापति प्रदान की गई। बावजुद उन पर बिना गौर किए नियमों की अनदेखी कर मनमकसुद आदेश पारित करने में भुल की है। अधिनस्थ अधिकारी जी ने आदेश बिना सुनवाई किये व सुचित किये जारी किया तथा नियमों की विधिवत पालना नहीं की गई। दिनांक 19.10.2023 को अपीलाण्ट जानकारी करने गया तब आदेश हो जाने की बात कही तो अपीलाण्ट ने जानकारी होते ही नकल हेतु आवेदन प्रार्थना पत्र पेश किया नकल दिनांक 25.10.2023 को प्राप्त हुई। नकल मिलते ही अधिवक्ता कर यह अपील प्रस्तुत की जा रही। फिर भी सम्भावित कानुनी आपत्ति के निराकरण हेतु धारा 5 का प्रार्थना पत्र साथ प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त फरमाया जावें तथा अपीलाण्ट को अविदित शस्त्र की अनुज्ञप्ति जारी कराई जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा उपस्थित हुए।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में आर्म्स अधिनियम एवं नियमो के तहत दो नाल टोपीदार बन्दुक के लाईसेन्स के लिए आवेदन किया। अपीलाण्ट ने नियमानुसार प्रारूप में आवेदन किया तथा सभी जगह से नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र मंगवाए गये जिसमें अपीलाण्ट का उपरोक्त शस्त्र की अनुज्ञप्ति दिये जाने में अनापत्ति दी तथा आवेदक अपीलाण्ट को दो नाल टोपीदार लाइसेन्स जारी करने की अनुशंषा की गई। उपरोक्त सारी परिस्थिति के बावजुद भी अधिनस्थ अनुज्ञप्ति अधिकारी जी मनमकसूद तरिके से स्वयं की सुरक्षा हेतु हथियार की आवश्यक्ता का पर्याप्त व उचित कारण नही होने एवं नील गाय के सम्बन्ध में आर्म्स रूल्स में कोई नियम नहीं होने का आधार बना आवेदन अस्वीकार किया गया है। अधिनस्थ अधिकारी जी ने आदेश पारित करने में विधि सम्बन्धित एवं तथ्य सम्बन्धित भूल की है। अधिनस्थ अधिकारी जी ने अपीलाण्ट को बिना सूचित किए व

सुनवाई का अवसर दिये बिना मनमकसुद तरिके से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित आदेश पारित करने में भुल की है। आर्म्स नियमों के तहत अपीलाण्ट को अपने खेतो की फसलों की सुरक्षार्थ आवश्यक्ता प्रमाणित कराई है। अधिनस्थ अधिकारी जी ने केवल नील गाय के सम्बन्ध में मनमकसुद आधार अंकित कर आदेश पारित करने में भूल की है। अपीलाण्ट को अनुज्ञप्ति जारी करने में सारे विभागो द्वारा अनापति प्रदान की गई। बावजुद उन पर बिना गौर किए नियमों की अनदेखी कर मनमकसुद आदेश पारित करने में भुल की है। अधिनस्थ अधिकारी जी ने आदेश बिना सुनवाई किये व सुचित किये जारी किया तथा नियमों की विधिवत पालना नहीं की गई। अतः निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त फरमाया जावें तथा अपीलाण्ट को अविदित शस्त्र की अनुज्ञप्ति जारी कराई जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। एवं अपीलार्थी का लाईसेंस के लिए पर्याप्त कारण नहीं होने से उक्त अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

मैने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली उप उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलार्थी सुरेशचन्द्र जाट पिता मांगीलाल जाट ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा के समक्ष खेतो में फसल की नील गायों से सुरक्षा करने व स्वयं की सुरक्षा की आवश्यकता का प्रयोजन अंकित कर दो नाल टोपीदार बन्दुक के लाइसेंस हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. (सुरक्षा) राज्य विशेष शाखा जयपुर, पुलिस उप अधीक्षक वृत नाथद्वारा, तहसीलदार रेलमगरा व उपवन संरक्षक राजसमन्द से नियमानुसार जांच रिपोर्ट मंगवायी गयी। तहसीलदार रेलमगरा ने अपने जांच प्रतिवेदन में यह वर्णित किया कि " प्रार्थी ने आवेदन में उल्लेख किया कि स्वयं की सुरक्षा एवं खेतो की सुरक्षा बताया गया है परन्तु यह सिद्ध नहीं हो पाया प्रार्थी को स्वयं की सुरक्षा हेतु हथियार की आवश्यकता क्यों हुई।" इसके उपरान्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा द्वारा फसल की नील गायों से सुरक्षा हेतु आर्म्स रूल्स 2016 में प्रावधान नहीं होने व प्रार्थी को उसकी स्वयं की सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा स्वयं की सुरक्षा के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/कारण उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया एवं प्रार्थी द्वारा वर्णित प्रयोजन नीलगाय में खेतो की सुरक्षा हेतु आर्म्स रूल्स 2016 में प्रावधान नहीं होने से उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा द्वारा प्रार्थी का आर्म्स लाईसेंस हेतु प्रस्तुत आवेदन खारिज किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा के समक्ष स्वयं की सुरक्षा हेतु हथियार की आवश्यकता का पर्याप्त व उचित कारण नहीं बताया गया व नील गायो से खेतो की सुरक्षा हेतु आर्म्स रूल्स 2016 में प्रावधान नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा आर्म्स लाईसेंस हेतु प्रस्तुत आवेदन उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा द्वारा दिनांक 28.02.2023 को आदेश पारित कर अस्वीकार किया गया। एवं आर्म्स रूल्स प्रावधानानुसार कोई भी व्यक्ति अधिकार के तौर पर आर्म्स रूल्स 2016 के तहत आर्म्स लाईसेंस प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2023 नियमानुकुल व विधिसम्मत होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2023 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा. को लौटायी जावे।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 03.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद